**राजस्थान सरकार**
**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग**

F. No. F40(7)/खा.ले./NFSA/के.स.क्लेम्स /2023-24-00438-4534738 **जयपुर, दिनांक** :

**कार्यालय आदेश**

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) के पत्रांक दिनांक 07.07.2026 द्वारा - प्राप्त अधिसूचना संख्या 15/4/2025-एनएफएसए, दिनांक 01.07.2026 के माध्यम से पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक :एफ.40(10)/खा.ले./नीति/बजट घोषणा/2018-19 जयपुर, दिनांक 07.06.2023 एवं एफ.40(10)/खा.ले./नीति/बजट घोषणा/2025-26 दिनांक 18.03.2025 को अधिक्रमित करते हुये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों को देय मार्जिन(कमीशन) एवं अंतर राज्यीय हथलन दरों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं:

| विवरण | वर्तमान दर रु. (प्रति क्विंटल) | भारत सरकार द्वारा वृद्धि पश्चात् वित्त विभाग की आई.डी. सं. 152601839 दिनांक 29.07.2026 के अनुसार संशोधित दर (रु. प्रति क्वि.) |
|---|---|---|
| (अ) उचित मूल्य दुकानों का मूल कमीशन | 90.00 | 100.00 |
| (ब) पॉस मशीनों द्वारा वितरण करने पर देय अतिरिक्त मार्जिन | 21.00 | 11.00 |
| योग (अ + ब) | 111.00 | 111.00 |
| (स) राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त कमीशन | 39.70 | 39.70 |
| कुल देय कमीशन (अ + ब + स) | 150.70 | 150.70 |
| परिवहन एवं हैंडलिंग चार्जेज | 70.00 | 70.00 |

**नोट:-**

1. उक्त संशोधित दरें दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी होंगी।
2. पॉस मशीनों द्वारा वितरण करने पर देय अतिरिक्त मार्जिन राशि रु. 11/- प्रति क्विंटल में से पॉस मशीनों के रख-रखाव के मद में पूर्ववत् ₹5.21 प्रति क्विंटल तथा इलेक्ट्रॉनिक तुलन यंत्र मय आईरिस मशीन के संयोजन के मद में संयोजन के मद में ₹4.00 **प्रति क्विंटल** की कटौती पूर्व आदेशानुसार की जायेगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति आई.डी.सं. 152601839 दिनांक 29.07.2026 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं। शेष समस्त शर्तें/दिशा निर्देश पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ. 40(6) खा.वि./नीति/2014 जयपुर दिनांक 07.06.2023 व 18.03.2025 के अनुरूप रहेंगे।

Digitally signed by ROHIT GUPTA
Designation: Secretary To Government
Date: 2026-08-25 19:21:27 IST

RajKaj Ref No.: 24144018

v-1.0

**(डॉ. रोहित गुप्ता)**
**शासन सचिव**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—**

1. निजी सचिव, आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर ।
7. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि०, जयपुर ।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर ।
9. उपायुक्त प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्टम , खाद्य विभाग, जयपुर ।
10. समस्त जिला कलेक्टर/जिला रसद अधिकारी, राज0 सरकार ।
11. सार्वजनिक वितरण शाखा/खाद्यान्न शाखा, खाद्य विभाग, सचिवालय जयपुर ।
12. रक्षित पत्रावली ।
13. प्रोग्रामर खाद्य विभाग को SCM पर अपडेट करने हेतु ।

**शासन सचिव**

RajKaj Ref No.:
24144018

Digitally signed by ROHIT GUPTA
Designation: Secretary To Government
Date: 2026-08-25 19:21:27 IST

v-1.0